तारीख हुक्म	उनवानी अपील मु.नं. 19/22 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कृष्णा पाल बनाम सत्यवती	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वास्ते निर्णय 5/5/2025 को पेश हो।	
	5/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी आज अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दि० 8/5/25 को पेश हो। रीडर	
	8/5/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा पृथक से ब्यौरेवार पर लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उप जिला कलेक्टर वजीरपुर (स०मा०)	

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.05.2025	अपीलार्थी इन्द्रा पुत्री परसादी जाति बैरवा निवासी पीलोदा हाल वासी बागौर तहसील नादौती जिला करौली की और से इनके अभिभाषक संजय शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया है। इस प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि इस न्यायालय के निर्णित उनवानी प्रकरण संख्या 19/22 इन्द्रा बनाम फूलवती वगै0 के निर्णय दिनांक 27.06.2024 के आदेश के पैराग्राफ की लाईन संख्या 2 में नामान्तकरण संख्या 1574 दिनांक 13.09.2021 हो गया है जबकि यह नामान्तकरण संख्या 1543 दिनांक 17.09.2021 होना चाहिये था। प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के वकील को सुना गया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का अवलोकन किया गया नकल जमावन्दी संवत 2074–77 खाता संख्या 404 ग्राम पीलोदा में अंकित नोट "स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1543 दिनांक 17.09.2021 विरासत " के अनुसार नामान्तकरण संख्या 1543 दिांक 17.09.2021 दर्ज होना चाहिये था जो लिपिकीय गलती से 1574 दिनांक13.09.2021 दर्ज हो गया है यह एक लिपिकीय भूल है जो न्यायालय के स्तर पर हुई है इसकी शुद्वि किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2024 के आदेश के पैरा में लाईन संख्या 2 में दर्ज नामान्तकरण संख्या 1574 दिनांक 13.09.2021 के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 1543 दिनांक 17.09.2021 शुद्व किये जाने का आदेश दिया जाता है इस अनुसार मूल निर्णय में शुद्वि की जावे। उप जिला कलेक्टर वजीरपुर (स०मा०)	